

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1048 /102/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	विवरण
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सर्व शिक्षा विकास एवं अनुसंधान समिति, खुटेही रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	अशा0 साई कालेज आफ टेक्नोलॉजी बैकुंठपुर रीवा
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित रसायन, अति0वि0 कम्प्युटर साइंस, बाटनी जूलांजी
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक-15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित पाठ्यक्रमों कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं प्राचार्य की नियुक्ति नहीं, गतवर्ष में लगाई शर्तों की पूर्ति के दस्तावेज, ईपीएफ कटोत्रा नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 के अन्तर्गत सामान्यतया प्रत्येक विषय में कम से कम 01 शिक्षक की नियुक्ति के मान में महाविद्यालय में 23 शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिये, जबकि मात्र 05 शिक्षक ही नियुक्त हैं। शेष नियुक्तियों के बारे में चयन समिति गठित होकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन बताई गई है। अतः महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के अन्तर्गत पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। अतः निरन्तरता प्रकरण अमान्य।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अग्रलिखित पाठ्यक्रम	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अग्रलिखित अनापत्ति प्रमाण-पत्र	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०एससी०-तृतीय-भौतिक, गणित रसायन, अति०वि० कम्प्यूटर साइंस, बाटनी जूलॉजी

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1049/102/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा (म०प्र०)।
 - 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1050 /332/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	टाटा कालेज एवं सामाजिक विकास समिति, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	टाटा शिक्षा महा0 रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0 प्रथम हिन्दी, कम्प्यूटर, समाज, इतिहास , भूगोल राजनीति, बी0एस0सी0 प्रथम बाटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बी0काम0 प्रथम/ कम्प्यूटर
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट, भवन वृद्धि के दस्तावेज, छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क का विवरण, ईपीएफ कटौती, वेतन भुगतान बैंक द्वारा किए जाने का विवरण पत्रक, नवीन सदस्यों की धारा -27 की अनुमोदित सूची, कालेज कोड 28 में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में पूर्व से बी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। मार्गदर्शिका की कडिका 2.1.6 अन्य आवश्यक मानदण्ड की उप कडिका 6-में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज/किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य

		संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में पृथक-पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्था की पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस नियम की पूर्ति नहीं होने से प्रकरण अमान्य।	
7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0 प्रथम हिन्दी, कम्प्यूटर, समाज, इतिहास, भूगोल राजनीति, बी0एस0सी0 प्रथम बाटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बी0काम0 प्रथम/ कम्प्यूटर

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 105 / 332 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 10 / 04 / 2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1060/178/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एक्सीलेंसी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसा सतना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	चन्द्रकली कन्या महा10 सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम-कम्प्युटर, राजनीति, अर्थशा. हिन्दी एम0एस0डबल्यू-प्रथम पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	निकटवर्ती कुछ महा10 में 50 प्रतिशत से प्रवेश कम है, कालेज कोड-28 में नियुक्तियों, धारा-27 की वैद्य सूची नहीं, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, आवेदित पाठ्यक्रमों का शुल्क अंतिम तिथि के पूर्व जमा नहीं है।

//2//

6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है, केवल चयन समिति का गठन हुआ है। मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत से कम प्रवेश होने के कारण नवीन पाठ्यक्रम अमान्य।	
7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम-कम्प्युटर, राजनीति, अर्थशा. हिन्दी एम0एस0डबल्यू-प्रथम पीजीडीसीए

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 106/178/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1064/318/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कश्यप स्मृति शिवाजी शिक्षा समिति, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा महा0 रतैरी, रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0एससी0-प्रथम- केमिस्ट्री, जूलॉजी इनवायरलमेंट बायोटेक्नोलॉजी
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पृथक भवन एवं स्टाफ की पूर्ति हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं, वेतन भुगतान किए जाने का बैंक विवरण पत्रक, ईपीएफ कटौती, धारा 27 में नवीन सदस्यों की सूची आदि दस्तावेज

6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में पूर्व से बी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। मार्गदर्शिका की कड़िका 2.1.6 अन्य आवश्यक मानदण्ड की उप कड़िका 6-में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज/किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में पृथक-पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्थाकी पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इस नियम की पूर्ति नहीं होने से नवीन पाठ्यक्रम का प्रकरण अमान्य योग्य है।	
7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-प्रथम- केमिस्ट्री, जूलांजी इनवायरलमेंट, बायोटेक्नोलॉजी

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1065/318/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1062/34/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	साक्षी शिक्षण समिति, बडोरा सीधी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	साक्षी महा0 बडोरा जिला सीधी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम में कप्यु0 ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0सी0ए0-तृतीय बी0ए0-तृतीय-हिन्दी, राजनीति, समाज
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	संचालित पाठ्यक्रमों में कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं, ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज अप्राप्त, नवीन सदस्यों की धारा-27 की अनुमोदित सूची नहीं है।


//2//

6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड-28 में कम से कम बी0एड में लगभग 17 तथा सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु लगभग 10 नियुक्तियाँ होना चाहिये। संस्था द्वारा महा0 में कोड 28 में बी0एड में 08 तथा सामान्य पाठ्यक्रमों में 7 शिक्षकों की नियुक्ति बताई गई है जबकि वि0वि0 की अधिसूचना केवल बी0एड0 के 7 शिक्षकों की ही प्रस्तुत की गई है। अतः संस्था में सामान्य पाठ्यक्रमों में कॉलेज कोड-28 में अधिसूचना/नियुक्तियां नहीं होने से नवीन/निरन्तरता के पाठ्यक्रम अमान्य।	
7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---निरंक---
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	नवीन पाठ्यक्रम - बी0ए0-प्रथम में कप्यु0 ए0 निरन्तरता के पाठ्यक्रम - बी0सी0ए0-तृतीय बी0ए0-तृतीय-हिन्दी, राजनीति, समाज

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1063/34/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
 - 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.